

काबिज व दखील है, जिस पर कृषिक कार्य नहीं होता है। अतः उक्त आराजा का या
मुक्त किया जाय।

नियमानुसार तहसीलदार फूलपुर से जांच आख्या आहूत की गई। तहसीलदार फूलपुर द्वारा अपना में यह उल्लिखित किया गया है कि मौजा मुबारकपुर परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर जिला प्रभाराजी सं0 597 रकवा 1.5980 में से 0.8210हें0 पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। दिनांक 10.07.2023 प्रयागराज के आधार वर्ष खतौनी 1423-1428फ0 आराजी सं0 597 रकवा 1.5980हें0 में 0.7980 लाल डा० के० एल० पटेल एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट दयाल फूलपुर प्रयागराज द्वारा मैनेजिंग ट्रस्ट नामक निवासी ग्राम व पो० कपसा परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर जिला प्रयागराज का नाम सहसंक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। तहसीलदार फूलपुर द्वारा अपनी जांच आख्या में उक्त आकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है। वादी ने अपने साक्ष्य में मु० 1000/-रु० लान संख्या H000040 दिनांक 24.08.2023 व मु० 38000/-रु० ट्रेजरी चालान संख्या H000041 दिनांक 24.08.2023 व 41 व 45 व 1359 व संख्या 23 व मु० 38000/-रु० ट्रेजरी चालान संख्या H000039 दिनांक 24.08.2023 व 41 व 45 व 1359 व संख्या आराजी की फोटो देकर अपना साक्ष्य पूर्ण किया। उपरोक्त के आधार पर उक्त आराजी को अकृषिक घोषित करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि तहसीलदार फूलपुर की जांच आख्या के आधार पर मौजा मुबारकपुर परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर जिला प्रयागराज के आराजी सं0 597 रकवा 1.5980 में से 0.8210हें0 भूमि को राजस्व संहिता-2006 की धारा 80 के तहत अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त की जाती है। परगना की अमलदरामद जारी हो। तहसीलदार फूलपुर की जांच आख्या अदिनांकित आदेश का अंग होगी। आदेश के प्रति उपनिवंधक फूलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दफ्तर हो।

—४—
11/9/2
(सौरभ मट्ट)
उपजिलाधिकारी फूलपुर
प्रयागराज।